न्यायालय सहायक कलक्टर बडीसादडी जिला चित्तौडगढ

. पीठासीन अधिकारी :— प्रवीण कुमार मीणा आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या :— 38/2014 ई.रे. दिनांक 25.9.2025

भूरालाल पुत्र किशनलाल ब्राहमण मृतक के बजाय—
1/1 प्रेमचंद पिता भूरालाल ब्राहमण नि. जन्ताई तह. बडीसादडी
1/2 गणेशलाल पिता भूरालाल ब्राहमण नि. जन्ताई तह. बडीसादडी
1/3 मोहनलाल पिता भूरालाल ब्राहमण नि. जन्ताई तह. बडीसादडी

— प्रार्थीगण

बनाम

1— शंकरलाल पुत्र स्व. छगनलाल ब्राहमण निवासी बिलोदा
2— सवराम पुत्र छगनलाल ब्राहमण निवासी बिलोदा
3— शंकर पुत्र गोकल ब्राहमण निवासी बिलोदा
4— जमनालाल पुत्र छगनलाल ब्राहमण निवासी जन्ताई
5— नरेन्द्र कुमार पिता नारायणलाल ब्राहमण नि. जन्ताई
6— राधेश्याम पिता नारायणलाल ब्राहमण नि. जन्ताई
7— अनोखीलाल पिता नारायणलाल ब्राहमण नि. जन्ताई
8— ओमप्रकाश पिता नारायणलाल ब्राहमण नि. जन्ताई
9— गीता बेवा नारायणलाल ब्राहमण नि. जन्ताई
10— सरकार जरीये भूमिधारी तहसीलदार एवं उपपंजीयक बडीसादडी

—अप्रार्थीगण

<u>प्रार्थना पत्र अंर्तगत धारा 212 आर.टी.एक्ट</u>

उपस्थित— श्री विजयसिंह राठौड़ वकील प्रार्थीगण
श्री राजेश व्यास वकील विपक्षी संख्या 4

—:: आदेश::—

1. प्रार्थीगण की और से एक वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 188, 53 आर.टी.एक्ट.का पेश किया है जो ठोस तथ्यों पर आधारीत है लेकिन वादपत्र के अन्तिम निस्तारण में समय लगने की सम्भावना है इसलिए अस्थाई निषेधाज्ञा का यह प्रार्थना पत्र पृथक से प्रस्तुत किया जा रहा है।
2. ग्राम जन्ताई तहसील बडीसादडी में जमाबन्दी संवत् 2068—71 के अनुसार खतोनी संख्या 151 के अन्तर्गत आराजी खसरा नम्बर 723 रकबा 0.20 हैक्टेयर नहरी लगानी 6 रूपया स्थित है। इस आराजी को वादपत्र में आगे सुविधा के लिहाज से वादग्रस्त आराजी के नाम से सम्बोधित किया जायेगा।
3. वादग्रस्त आराजी वर्तमान में अप्राथीगण शंकरलाल, ज[illegible] सवराम, नारायण पिता छगनलाल पिता छगनलाल व शंकरलाल पिता गोकल के नाम पर राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। अप्रार्थी शंकरलाल पिता छगनलाल व शंकरलाल पिता गोकल एक ही व्यक्ति है लेकिन शंकरलाल गोकल के गोद चला गया था इसलिए उसका नामकरण दो बार अलग अलग लिखा गया है। खातेदार नारायण की मृत्यु हो चुकी है लेकिन राजस्व रिकोर्ड में उसका नाम अंकित है प्रार्थी के द्वारा प्रार्थना पत्र में नारायण के

Signature Not Verified
Digitally signed by Praveen Kumar Meena
Date: 2025.11.19 10:29:28 IST
Reason: Self Attested

सहायक कलेक्टर
बडीसादडी

उत्तराधिकारी नरेन्द्रकुमार, राधेश्याम, अनौंखीलाल, ओम प्रकाश तथा बेवा गीता को प्रक्षकार प्रतिवादी बनाऐ गये है।

4. वादग्रस्त आराजी अप्रार्थीगण शंकरलाल के गोदी पिता गोकल के द्वारा आज से करीब 50–60 वर्ष पूर्व प्रार्थी को विक्रय करके कब्जा सुपूर्द कर दिया गया था तब से प्रार्थी वादग्रस्त आराजी पर निरन्तर रूप से काबीज होकर बिना किसी बाधा या रूकावट के शान्तिपर्वक उपयोग उपभोग करता चला आ रहा है। इस प्रकार प्रार्थी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 64(4) के अन्तर्गत खातेदार काश्तकर हो चुका है लेकिन राजस्व रिकोर्ड में इस बाबत् कोई इन्द्रज नहीं होने से प्रार्थी राजस्व रिकोर्ड में वादग्रस्त आराजी अपने नाम पर दर्ज करवाने की घोषणा करावाने का अधिकारी है।

5. यह अंकित कर देना भी उचित होगा की अप्रार्थीगण के द्वारा तत्समय प्रार्थी के पक्ष में वादग्रस्त आराजी को विक्रय करके कब्जा सुपूर्द करने बाबत् एक लिखमत भी निष्पादित की गई थी लेकिन काफी लम्बा अर्सा गुजर जाने के कारण वह लिखमत तलाश करने पर उपलब्ध नही हो पाई है। दोराने वाद विचारण अगर लिखमत तलाश करने पर उपलब्ध नही हो पाई है। दोराने वाद विचारण अगर लिखमत उपलब्ध हो गई तो प्रर्थी के द्वारा प्रस्तुत की जायेगी, लेकिन प्रार्थी का वाद 50–60 वर्षो के "एडवर्स पजेशन" के आधार पर प्रस्तुत किया जा रहा है जो ऐसी किसी लिखमत का मोहताज भी नहीं है तथा प्रार्थी वादग्रस्त आराजी की खातेदारी की घोषणा अपने नाम पर करवाने का विधिक रूप से अधिकारी है।

6. यह अंकित करना भी आवश्यक एंव प्रासांगिक है कि वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 723 की उत्तर दिशा में आराजी खसरा नम्बर 722 व दक्षिण दिशा में आराजी खसरा नम्बर 724 स्थित है जो कि प्रार्थीगण के खातेदारी व आधिपत्य की है तथा विक्रेताओं के द्वारा वादग्रस्त आराजी प्रार्थी के पक्ष में विक्रय करने का यह भी एक आधार था तथा यह प्रमाणित करता है कि वादग्रस्त आराजी 50–60 वर्षो से अप्रार्थीगण के आधिपत्य में होकर निरन्तर 50–60 वर्षो से उपयोग–उपभोग में आ रही है तथा उक्त वर्णित तीनो आराजीयात के बीच में किसी प्रकार की कोई सीमाबन्धी निशानात अथवा पालीया पडी हुई नहीं है जिससे भी यह प्रमाणित है कि वादग्रस्त अराजी प्रार्थी के आधिपत्य में होकर शांन्ति पूर्वक उपयोग–उपभोग में चली आ रही है। इसलिए प्रार्थी वादग्रस्त अराजी की खातेदारी अपने नाम पर घोषित करवाने का अधिकारी है।

7. वादग्रस्त आराजी अप्रार्थीगण के उक्त वर्णित खतौनी संख्या 151 के अन्तर्गत संयुक्त खातेदारी में दर्ज है। जिससे भविष्य में आराजीयात की सीमाओं को लेकर विवाद उत्पन्न हो सकता एंव लगान की अदायगी में भी विवाद होता रहता है इसलिए वादग्रस्त आराजी प्रार्थी की खातेदारी में दर्ज करवाकर बटवाडा कराया जाए तथा प्रार्थी के नाम पर प्रथक खाते में दर्ज करवाई जाकर लगान की फाटनी करवाई जाना आवश्यक है।

8. वादग्रस्त आराजी में अप्रार्थीगण का नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज होने के कारण अप्रार्थीगण प्रार्थी के कब्जे में दखल–अन्दाजी करके आराजी को खुर्द–बुर्द कर सकते है तथा प्रार्थी के शांन्तिपूर्वक उपयोग–उपभोग में बाधा उत्पन्न कर सकते है। ऐसी स्थिती में प्रार्थी के वेध आधिपत्य व स्वामित्व के आराजी से प्रार्थी वंचित हो सकता है जिससे प्रार्थी को ऐसी हानी होगी की उस हानि की पूर्ति अन्य किसी प्रकार से की जाना सम्भव नहीं होंगी इसलिए अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से प्रतिबन्धित करवाया जाना आवश्यक है कि वादग्रस्त आराजी बाबत् प्रतिवादीगण के द्वारा किसी प्रकार का कोई विलेख न तो निष्पादित किया जाए, न पंजीयन कराया जाए और न ही राजस्व रिकोर्ड में किसी प्रकार का परिवर्तन कराया जावें।

9. प्रार्थी का प्रथम दृष्टया केस प्रमाणित है व सुविधा का सन्तुलन भी प्रार्थी के पक्ष में प्रार्थी वादग्रस्त आराजीयात का 50–60 वर्षो से काबीज होकर आराजी का उपयोग उपभोग कर रहा है। विपक्षीगण द्वारा आराजी को खुर्द–बुर्द करने का उपयो[illegible] का प्रार्थी को भारी असुविधा होगी इसलिए अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से प्रति[illegible]या जाना न्यायहित में आवश्यक है।

अतः प्रार्थना है कि अप्रार्थीगण को अ[illegible] निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे की मूल वाद के निस्तारण तक अप्रार्थीगण द्वारा वादग्रस्त आराजीयात में प्रार्थी के उपयोग उपभोग में दखलअन्दाजी न करे और न ही कोई विलेख निष्पादित कर[illegible]जीयन करावें और न ही राजस्व रिकोर्ड में परिवर्तन करावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Praveen Kumar Meena
Date: 2025.11.19 10:29:20 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
बड़ीसादड़ी

वकील विपक्षी नं. 4 की ओर से जवाब में निम्न बिन्दु पेश किये गयें

1. प्रार्थना पत्र की कलम न. 1 का जवाब यह है कि प्रार्थीगण के द्वारा वाद प्रस्तुत करना स्वीकार है परन्तु वाद सारहीन हो कर सदोष लाभ प्राप्त करने के लिये गलत तथ्यों के आधार पर प्रस्तुत किया गया है तथा वाद निश्चित ही खारिज होने योग्य है
2. प्रार्थनापत्र की कलम न. 2 का जवाब यह है कि उक्त वर्णित आराजी का मौजा जन्तई में स्थित होना स्वीकार है परन्तु आराजी न. 723 से प्रार्थी का कोई लेना देना नहीं है तथा वादग्रस्त बनाने का अधिकार भी नही है।
3. प्रार्थनापत्र की कलम न. 3 का जवाब यह है की उक्त आराजी वर्तमान में विपक्षी के नाम स्थित होना स्वीकार है
4. कलम न. 4 से इन्कार है तथा इस कलम में वर्णित तथ्य सदोष लाभ प्राप्त करने के लिये प्रार्थीगण द्वारा राय मशवरा प्राप्त कर लिखे गये है जबकी उसका उक्त आराजी से कोई लेना देना नहीं है तथा उक्त आराजी न. 723 का कोई बिकाव छगनलाल व गोकल के द्वारा प्रार्थीगण को नही किया गया ना ही कब्जा सुपुर्द किया गया तथा उक्त आराजी पर विपक्षीगण काबिज है तथा प्रार्थी का कोई लेना देना नही है तथा धारा 63/4 के तहत भी प्रार्थी का कोई अधिकार उक्त आराजी में नही बनता है क्यों की निर्बाध रूप से प्रार्थी देना ही नही है तो उक्त आराजी को अपने नाम दर्ज कराने का भी प्रार्थीगण अधिकारी नही है
5. कलम न. 5 से इन्कार है तथा इस कलम मे वर्णित तथ्य सदोष लाभ प्राप्त करने के लिये लिखे गये है तथा उक्त आराजी से प्रार्थी का कोई लेना देना नही है तथा आराजी आ.न. 723 का कोई बिकाव प्रार्थी को नही किया गया ना ही कब्जा सुपुर्द किया गया तथा ऐसा कोई बिकाव होता तो इतने सालो मे सक्षम न्यायालय मे प्रार्थी वाद प्रस्तुत कर देता तथा एडवर्स पजेशन के आधार पर भी प्रार्थी को कोई हक अधिकार पैदा नहीं होता है क्यो की प्रार्थी का कोई कब्जा उक्त आराजी पर नही है तथा एक और तो बिकाव के आधार पर तथा एक और एडवर्स पजेशन के आधार पर प्रार्थी दावा लाया है तथा दोनो एक दुसरे के विपरीत हो कर दो नावो मे सवार होने जैसा है तथा प्रार्थी किसी प्रकार की घोषणा प्राप्त कराने का अधिकारी नही है
6. प्रार्थना पत्र की कलम न. 6 से इन्कार है तथा इस कलम में वर्णित तथ्य सदोष लाभ प्राप्त करने के लिये प्रार्थीगण द्वारा लिखे गये है तथा केवल मात्र प्रार्थी की आराजी के आ.न. 723 के पास होने से ही उक्त आराजी को प्रार्थी हडपना चाहता है तथा सत्यता तो यह है कि ना तो प्रार्थी को उक्त आराजी का बिकाव ही किया ना ही उक्त आराजी पर प्रार्थी का कब्जा ही है तथा उक्त आराजी से साथ साथ विपक्षी की अन्य आराजी व शामलाती कुआ भी है तथा उक्त आराजी को कभी पाती काश्त पर तो कभी सिजारे पर विपक्षीगण देते आये है तथा विपक्षीगण के स्वामीत्व व आधिपत्य मे उक्त आराजी है तथा प्रार्थी का कोई अधिकार उक्त आराजी न. 723 में नही बनता तथा प्रस्तुत वाद व प्रार्थना पत्र सारहीन होने से निरस्त होने योग्य है
7. प्रार्थनापत्र की कलम न. 7 असत्य होने से स्विाकर नही है तथा जब प्रार्थी को उक्त आराजी से कोई लेना देना ही नही है ना ही वो अभिधारी की श्रेणी मे है ना ही खातेदार है तो बटवारा कराने उसका अधिकार भी नही है तथा वाद निरस्त होने योग्य है
8. कलम न. 8 असत्य होने से स्वीकार नही है तथा प्रार्थीगण का कोई हक अधिकार नही बनता तथा प्रार्थीगण न्यायालय को गुमराह कर बिकाव व एडवर्स पजेशन बताते हुए दावा लिया है तथा बिकाव कब कितने रूपये मे किसे उसका कोई [illegible] दिया जबकी ऐसा कोई बिकाव किया ही नहीं गया है तथा प्रार्थी के द्वारा फर्जी [illegible] काव नामा बनाया भी जाता है तो वो विपक्षी के ही तो पर बेअसर होगा तथा विपक्षीगण को [illegible] आराजी का उपयोग उपभोग करने का पुर्ण अधिकार है तथा उक्त आराजी से सम्बंधित [illegible] अनुलाभ विपक्षी ही प्राप्त करते चले आ रहे है तथा प्रार्थी द्वारा सारी बाते मनगढन्त व बेबुनियादी रूप से लिखी गई है तथा प्रार्थी अभिधारी की श्रेणी मे नही आता है तो वो विपक्षी को [illegible] बन्द कराने को अधिकारी भी नही है तथा प्रार्थना पत्र निरस्त होने योग्य है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Praveen Kumar Meena
Date: 2025.11.19 10:29:20 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
बड़ीसादड़ी

9. कलम न. 9 असत्य होने से स्वीकार नही है प्रार्थीगण का कोई मामला अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का नही बनता है तथा दृष्टया मामला हो कर सुविधा का सन्तुलन व अपुर्णिय क्षति का सिद्धान्त विपक्षीगण के पक्ष में है विपक्षीगण उक्त आराजी न. 723 के रिकार्डेड खातेदार हो कर काबिज काश्त है तथा प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र निरस्त होने योग्य है

अतः जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र मय कोस्ट निरस्त किया जाये।

उभयपक्षो के तर्को के एवं बहस के परिप्रेक्ष्य में पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थी को अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने हेतु विधि के तीन बिन्दुओं को प्रमाणित करना होता है :–

1– प्रथम दृष्टया मामला
2– सुविधा का संतुलन
3– अपूरणीय क्षति

1– **<u>प्रथम दृष्टया मामला</u>**

पत्रावली पर प्रस्तुत अभिवचनों व दस्तावेजो से यह प्रमाणित होता है कि अप्रार्थीगण अपना प्रार्थना पत्र दस्तावेजों के एवं अभिवचनों के आधार पर साबित करने में असफल रहा है इसलिये अप्रार्थीगण के पक्ष में प्रथम दृष्टया मामला बनना नही पाया जाता है। अतः प्रथम दृष्टया मामले का बिन्दु प्रार्थीगण के पक्ष में प्रतीत होता है।

<u>2. सुविधा का संतुलन व अपूर्णीय क्षति :–</u>

सुविधा का संतुलन व अपूर्णीय क्षति का सिद्धान्त प्रार्थीगण के पक्ष में प्रतीत होता है। तीनो ही तात्विक बिन्दुओं को प्रार्थीगण साबित करने में सफल रहा है।

अतः वकील प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र 212 आर.टी.एक्ट. का स्वीकार कर आदेश दिया जाता है कि मौजा जन्ताई पटवार हल्का भाटोली की आराजी नं. 723 रकबा 0.20 हैक्ट. भूमि पर विपक्षीगण को पाबंद किया जाता है कि वे मूल वाद के निस्तारण तक उक्त आराजीयात में दखलअन्दाजी न करे और न ही कोई विलेख निष्पादित कर पंजीयन करावें और न ही राजस्व रिकोर्ड में परिवर्तन करावें।

यह आदेश आज दिनांक 25.09.2025 को सरे इजलास लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(प्रवीण कुमार मीणा)
सहायक कलक्टर
बडीसादडी

Signature Not Verified

Digitally signed by Praveen Kumar Meena
Date: 2025.11.19 10:29:20 IST
Reason: SelfAttested